

युनाइटेड इंडिया इन्थ्योरेन्स कं. लि. (भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक) पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाऊस, 24, व्हाईट्स रोड, चेन्नई - 600 014.

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India) Regd. & Head Office: United India House, 24, Whites Road, Chennai-600 014.

'वेडिंग बेल्स' पॉलिसी के लिए प्रस्ताव प्रपत्र PROPOSAL FORM FOR "WEDDING BELLS" POLICY

उप खण्ड । व ।। में किसी भी एक मदों का मूल्य बीमित राशि के 5 % से अधिक होने पर उसे अलग से घोषित करें. (Any one item exceeding in value 5% of sum insured under any sub section I & II has to be declared specifically.)

1. (a		medica no de la Anglo America de mayor i con en la Anglo Ang	
(a)		selects, may be early sorted and readed one (are	
(ख (b)		a star busines state of tractor foul are	
(व		contributional south the tensoriement of the section	
(c)		Wile attended to the seminated off port 1%	
	् (दुल्हन)/वर (दुल्हा) का ब्यौंग rticulars of Bride/Groom :		
(क			
(a)	, 6		
(ख	6 6	The second of th	
(b)	. 6	THE MARKON LINES (SEA LE)	
(ग) वधू के पिता का नाम	Altered River seems seems	
(c)	Daughter of	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
(घ		gents produced in stall state state.	
(d)			
(च (e)		grammare to to make the first the first	
(ভ)		,	
(f)	Son of	Page 1	
(ज) वध्/वर का बीमाधारक से पारस्परिक संबंध		
(g)			
2 7011	दी / विवाह परिसर का पता		
3. शादा / ।ववाह पारसर का पता Address of the marriage / wedding premises			
) निर्माण की श्रेणी		
(a)			
(ख	ा) शादी के समय क्या प्रस्तावक पूरे परिसर का अकेला	ACCITION TO	
	उपभोक्ता होगा अर्थांत् क्या परिसर एकमात्र उसी के		
	उपयोग के लिए होगा?		
(b)	Will the proposer be the sole occupant of the entire premises at the time of marriage i. e. has	equi se i pregnit i tam (film)	
	the premises been taken for his exclusive use?		
(ग) उसी समय परिसर में होने वाले उसी प्रकार के कोई अन्य	Annual plants are as a second and a second a second and a	
	कार्यक्रम (यदि परिसर में एक से अधिक बिल्डिंगें हैं)	-	
(c)			
	the premises (if the premises contains number of buildings)	The second secon	
1 /-	i) शादी की तारीख व समय		
4. (a)			
	 परिसर में शुरू होने वाले कार्यक्रम/कार्य की तारीख व 		
, 0	समय	L committee (the contract of	
(b)			
(3)	at the premises		
(11) कार्यक्रम के समाप्ति की तारीख व समय	Supplied the state of the state of	
(c)	Date and time of completion of function		

F (35)		
5. (क)	खर्ची का विवरण (कृपया विस्तृत ब्यौरा दें) रू. Details of expenses (please give detailed lis	AL CONTRACTOR OF THE PROPERTY
(a)	Rs.	1)
(ख)	मुख्य कार्यक्रम, प्रारंभिक कार्य, स्वागत समारोह	में
3.0	आनेवाले मेहमानों की अनुमानित संख्या	
(b)	Indicate anticipated number of guests for mai function, preliminaries, receptions	in larger design
(刊)	सम्पति तथा मूल्यवान चीजों का विवरण	in viril and the program of
(c)	Details of property and valuables	
	(1) बीमाधारक के स्वयं का	
	Insured own	HERIT BUS PERSON
	(2) भाड़े पर लिए गए. Taken on rent	PROPOSAL FORM FOR V
(ঘ)	उपर उल्लिखित सम्पत्ति अन्य किसी पॉलिसी द्वारा बीमि	d the state of the
ununining.	है, यदि हां, विवरण दें	The state of the s
(d)	Has the property mentioned above been insure earlier under any other policy. If so give details	d s.
(च)	क्या बिल्डिंग तथा विवाह परिसर की अन्य अंतर्वस्तु।	į į
	अन्य किसी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित हैं यदि हां	
	विवरण दें.	
(e)	Has the buildings and other contents of the marriage premises been earlier insured under any other policy, if so give details.	e y
6. बीमित	राशि	
Sumi	nsured	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	(a) (क) खर्चा expenses रू Rs.	and the same of the same
	(b) (ख) सम्पत्ति property रू Rs.	新州市北京区
	विधिक दायित्व Legal Liability	
	कर्म क्ष. दायित्व WC Liability रू. Rs.	
	तृतीय पक्ष दायित्व T. P. Liability रू Rs.	
7. बीमा ३	नविध Period of insurance	THE PROPERTY OF THE PROPERTY.
	,	
-		the major is sometime of the first
From		से То तब
		enter the second of the second of the second of the
		the discontinuous approximation of the depolition
		180 Femira Palement (2)

वीमित राशि रु / SUM INSURED Rs.
The second secon
तृतीय पक्ष दायित्य रु. कोई एक दुर्घटना : Third Party Liability –Rs AOA:
कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार कर्मकार प्रतिकर
Workmens Compensation as per WC Act
1977
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
A London Harrison State State 200

हस्ताक्षर / Signature

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध Section 41 of Insurance Act, 1938 – Prohibition of Rebates

- 1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी पर देय पूरे कमीशन की या उसके किसी भाग की अथवा पालिसी पर दिखाए गए प्रोमियम की कोई छूट या ऐसी छूट के सिवाय जो बीमाकर्ता की विवरण पत्रिकाओं या सारणियों के अनुसार अनुमित दी जा सकती है, न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा और न पालिसी लेनेवाला या उसे नवीकृत करानेवाला या जारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा।
 - No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurers.
- 2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees.